# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## 26 अगस्त, 2016

## खण्ड 2, अंक 1

## अधिकृत विवरण

## विषय सूची

### शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| शोक प्रस्ताव | 3 |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यगण का निलम्बन रद्द करने/सदन के निर्णय को रद्द करने के लिए अनुरोध | 23 |
| सदन में कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी मामला उठाना | 38 |
| बैठक का स्थगन | 38 |

# हरियाणा विधान सभा

## शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2:00 बजे हुई । अध्यक्ष, (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की ।

# शोक प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** अध्यक्ष जी, पिछले सत्र से और इस सत्र के प्रारंभ होने तक जो महान विभूतियां अब हमारे बीच में नहीं रहीं, उनके बारे में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत रखता हूं –

## डॉ. ए. आर. किदवाई, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ. ए. आर. किदवाई के 24 अगस्त, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जुलाई, 1920 को हुआ। उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया। वे 1967 से 1979 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे। उन्होंने 1979 से 1985 एवं 1993 से 1998 तक बिहार, 1998 से 1999 तक पश्चिम बंगाल तथा 2004 से 2009 तक हरियाणा के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने 2007 के दौरान राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सम्भाला। वे 2000 से 2004 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

उन्हें 2011 में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। डॉ. ए. आर. किदवाई एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सेवा की।

उनके निधन से देष एक प्रख्यात शिक्षाविद् तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

_____

## श्री बृज मोहन सिंगला, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री बृज मोहन सिंगला के 26 मई, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मई, 1950 को हुआ। वे 1982 तथा 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1982–84 तथा 1997–99 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमण्डल में रहते हुए आबकारी एवं कराधान, स्वास्थ्य तथा श्रम एवं रोज़गार जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभालने का गौरव प्राप्त हुआ।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———————

## चौधरी शकरुल्ला खां, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन विधायक श्री नसीम अहमद के पिता तथा भूतपूर्व राज्य मंत्री चौधरी शकरुल्ला खां के 28 जुलाई, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 17 अगस्त, 1945 को हुआ। वे 1977, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1985–86 तथा 1991–96 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे 1979–80 के दौरान हरको फेड के चेयरमैन भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———————

## श्री राम प्रसाद, हरियाणा के भूतपूर्व उप–मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व उप–मंत्री श्री राम प्रसाद के 9 जून, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 जून, 1930 को हुआ। वे 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा उप–मंत्री बने। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

## डॉ. मलिक चंद गम्भीर, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डॉ. मलिक चंद गम्भीर के 17 अगस्त, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म एक मार्च, 1934 को हुआ। वे 1968 तथा 2002 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

## श्री बृज आनंद, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृज आनंद के 7 जून, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 29 अक्तूबर, 1936 को हुआ। वे 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1991–96 के दौरान हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

**श्री उदय सिंह मान, संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य**

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य श्री उदय सिंह मान के 8 जुलाई, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 14 जनवरी, 1911 को हुआ। वे 1952 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वे कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

**हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी**

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. श्री मवासी राम, गांव खोह, जिला गुड़गांव।
2. श्री सूरजा राम, गांव छिलरो, जिला महेन्द्रगढ़।
3. श्रीमती संसारो देवी, गांव दलीपगढ़, जिला अम्बाला।
4. श्री बलवंत राम, गांव मांगर, जिला फरीदाबाद।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

**हरियाणा के शहीद**

यह सदन उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. मेजर अमित देशवाल, गांव सुरहेती, जिला झज्जर।
2. सूबेदार मेजर कृष्ण कुमार, गांव बनावाली, जिला फतेहाबाद।
3. वारंट ऑफिसर ओमबीर, गांव बाघपुर, जिला झज्जर।
4. पेटी ऑफिसर दीपक चंदेल, गांव मंधार, जिला यमुनानगर।
5. सहायक उप निरीक्षक रतन कुमार, गांव गुढा, जिला झज्जर।
6. हवलदार मुकेश कुमार, गांव दनचौली जाट, जिला महेन्द्रगढ़।
7. हवलदार रजनेश, गांव लावन, जिला महेन्द्रगढ़।
8. हवलदार सत्यनारायण, गांव पटीकरा, जिला महेन्द्रगढ़।
9. हवलदार सुरेन्द्र सिंह, गांव पहाड़ीपुर, जिला झज्जर।
10. हवलदार विक्रमजीत सिंह, गांव झलनियां, जिला फतेहाबाद।
11. हवलदार विजय सिंह, गांव चैहड़ कलां, जिला भिवानी।
12. कार्पोरल संजय शर्मा, गांव नांगल दर्गू, जिला महेन्द्रगढ़।
13. नायक रणसिंह, गांव गुडियानी, जिला रेवाड़ी।
14. लांस नायक रामचन्द्र, गांव मारोली, जिला महेन्द्रगढ़।
15. लांस नायक बलवान सिंह, गांव ऐंचरा खुर्द, जिला जींद।
16. सिपाही पवन कुमार, गांव खोड, जिला महेन्द्रगढ़।
17. सिपाही सतीश, गांव नया गांव भाला, जिला रेवाड़ी।
18. सिपाही सुनील कुमार, गांव मेघामाजरा, जिला कुरुक्षेत्र।
19. सिपाही दिनेश कुमार, गांव झण्डा, जिला यमुनानगर।
20. सिपाही नवल कुमार, गांव बहु–झोलरी, जिला झज्जर।
21. सिपाही अनूप कुमार, गांव पाहसौर, जिला झज्जर।
22. सिपाही होशियार सिंह, गांव बहबलपुर, जिला फतेहाबाद।
23. सिपाही विकास, गांव देहरा, जिला पानीपत।
24. फायरमैन नवजोत सिंह, गांव बुढवाल, जिला महेन्द्रगढ़।
25. फायरमैन अमित पूनिया, गांव नांगल खेड़ी, जिला पानीपत।

26. फायरमैन अरविंद कुमार, गांव दगड़ौली, जिला भिवानी।
27. फायरमैन कृष्ण कुमार, गांव बंचारी, जिला पलवल।
28. फायरमैन कुलदीप सिंह, गांव मैहड़ा, जिला भिवानी।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**श्री आनन्द सिंह दांगीः** अध्यक्ष महोदय, लांस नायक अशोक कुमार, गांव बहु–अकबरपुर, जिला रोहतक के रहने वाले आज से दो दिन पहले पठानकोट में शहीद हुए हैं, अतः उनका नाम भी शोक प्रस्ताव की सूची में जोड़ा जाये।

**श्री मनोहर लालः** ठीक है अध्यक्ष महोदय, लांस नायक अशोक कुमार, गांव बहु–अकबरपुर, जिला रोहतक का शोक समाचार कल ही प्राप्त हुआ है, उनका नाम भी शोक प्रस्ताव की सूची में जोड़ा जाये । यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन वित्त कैप्टन अभिमन्यु की भाभी श्रीमती सावित्री देवी, विधायक श्री श्री कृष्ण हुड्डा के सुपुत्र श्री धमेन्द्र हुड्डा, विधायक श्री सुभाष बराला के साले श्री विजय सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री चांदराम की पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी, पूर्व विधायक श्री कुलबीर बैनीवाल के पिता श्री राधेराम बैनीवाल, पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी की पत्नी श्रीमती श्यामवती एवं भाभी श्रीमती कमलेश तथा पूर्व विधायक श्री पदम सिंह दहिया के भतीजे श्री रितिक के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**सरदार जसविंद्र सिंह संधू (पिहोवा) :** अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सत्र और इस सत्र के बीच हमारे हरियाणा की महान विभूतियां हमें छोड़कर चली गई

हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ. ए.आर. किदवई के 24 अगस्त, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म पहली जुलाई, 1920 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया। वे वर्ष 1967 से वर्ष 1979 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1979 से वर्ष 1985 एवं वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक बिहार, वर्ष 1998 से वर्ष 1999 तक पश्चिम बंगाल तथा वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक हरियाणा के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने वर्ष 2007 के दौरान राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सम्भाला। वे वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्हें वर्ष 2011 में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। डॉ. ए.आर. किदवाई एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सेवा की। उनके निधन से देश एक प्रख्यात शिक्षाविद् तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री बृज मोहन सिंगला के 26 मई, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 5 मई, 1950 को हुआ। वे वर्ष 1982 तथा वर्ष 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1982–84 तथा वर्ष 1997–99 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमण्डल में रहते हुए आबकारी एवं कराधान, स्वास्थ्य तथा श्रम एवं रोज़गार जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं

से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से विधायक श्री नसीम अहमद के पिता तथा भूतपूर्व राज्य मंत्री चौधरी शकरूल्ला खां के 28 जुलाई, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 17 अगस्त, 1945 को हुआ। वे वर्ष 1977, वर्ष 1982 तथा वर्ष 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1985–86 तथा वर्ष 1991–96 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1979–80 के दौरान हरको फैड के चेयरमैन भी रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व उप–मंत्री श्री राम प्रसाद के 9 जून, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका जन्म 15 जून, 1930 को हुआ । वे 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा उप–मंत्री बने । वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे । उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डॉ. मलिक चंद गम्भीर के 17 अगस्त, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका जन्म एक मार्च, 1934 को हुआ । वे 1968 तथा

2002 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए । वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे । उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृज आनंद के 7 जून, 2016 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक करता हूं । उनका जन्म 29 अक्तूबर, 1936 को हुआ । वे 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये । वे 1991–96 के दौरान हरियाणा पर्यटन निगम में चेयरमैन भी रहे । वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे । उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य श्री उदय सिंह मान के 8 जुलाई, 2016 को दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका जन्म 14 जनवरी, 1911 हो हुआ । वे 1952 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे । वे कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे । उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष

में अपना बहुमूल्य योगदान दिया । इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री मवासी नाम, गांव खोह, जिला गुड़गांव ।
2. श्री सूरजा राम, गांव छिलरो, जिला महेन्द्रगढ़ ।
3. श्रीमती संसारो देवी, गांव दलीपगढ़, जिला अम्बाला ।
4. श्री बलवंत राम, गांव मागर, जिला फरीदाबाद ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया । इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. मेजर अमित देशवाल, गांव सुरहेती, जिला झज्जर ।
2. सूबेदार मेजर कृष्ण कुमार, गांव बनावाली, जिला फतेहाबाद ।
3. वारंट ऑफिसर ओमबीर, गांव बाघपुर, जिला झज्जर ।
4. पेटी ऑफिसर दीपक चंदेल, गांव मंधार, जिला यमुनानगर ।
5. सहायक उप निरीक्षक रतन कुमार, गांव गुढा, जिला झज्जर ।
6. हवलदार मुकेश कुमार, गांव दनचौली जाट, जिला महेन्द्रगढ़ ।
7. हवलदार रजनेश, गांव लावन, जिला महेन्द्रगढ़ ।
8. हवलदार सत्यनारायण, गांव पटीकरा, जिला महेन्द्रगढ़ ।
9. हवलदार सुरेन्द्र सिंह, गांव पहाड़ीपुर, जिला झज्जर ।

10. हवलदार विक्रमजीत सिंह, गांव झलनियां, जिला फतेहाबाद ।

11.हवलदार विजय सिंह, गांव चैहड़ कलां, जिला भिवानी ।

12. कार्पोरल संजय शर्मा, गांव नांगल दर्गू, जिला महेन्द्रगढ़ ।

13. नायक रणसिंह, गांव गुडियानी, जिला रेवाड़ी ।

14. लांस नायक रामचन्द्र, गांव मारोली, जिला महेन्द्रगढ़ ।

15. लांस नायक बलवान सिंह, गांव ऐंचरा खुर्द, जिला जींद ।

16. सिपाही पवन कुमार, गांव खोड जिला महेन्द्रगढ़ ।

17. सिपाही सतीश, गांव नया गांव भाला, जिला रेवाड़ी ।

18. सिपाही सुनील कुमार, गांव मेघामाजरा, जिला कुरूक्षेत्र ।

19. सिपाही दिनेश कुमार, गांव झण्डा, जिला यमुनानगर ।

20. सिपाही नवल कुमार, गांव बहु–झोलरी, जिला झज्जर ।

21. सिपाही अनूप कुमार, गांव पाहसौर, जिला झज्जर ।

22. सिपाही होशियार सिंह, गांव बहबलपुर, जिला फतेहाबाद ।

23. सिपाही विकास, गांव देहरा, जिला पानीपत ।

24. फायरमैन नवजोत सिंह, गांव बुढवाल, जिला महेन्द्रगढ़ ।

25. फायरमैन अमित पूनिया, गांव नांगल खेड़ी, जिला पानीपत ।

26. फायरमैन अरविंद कुमार, गांव दगड़ौली, जिला भिवानी ।

27. फायरमैन कृष्ण कुमार, गांव बंचारी, जिला पलवल ।

28. फायरमैन कुलदीप सिंह, गांव मैहड़ा, जिला भिवानी ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की भाभी **श्रीमती सावित्री देवी**;

विधायक श्री श्रीकृष्ण हुड्डा के सुपुत्र **श्री धर्मेन्द्र हुड्डा;**

विधायक श्री सुभाष बराला के साले **श्री विजय सिंह;**

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री चांदराम की पत्नी श्रीमती दूर्गा देवी,

पूर्व विधायक श्री कुलबीर बैनीवाल के पिता **श्री राधेराम बैनीवाल;**

पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी की पत्नी **श्रीमती श्यामवती** एवं भाभी **श्रीमती कमलेश;**

पूर्व विधायक श्री पदम सिंह दहिया के भतीजे **श्री रितिक;**

के दुखद निधन पर शोक प्रकट करता हूं ।

इसके साथ ही श्री आनन्द सिंह दांगी माननीय सदस्य ने लांस नायक अशोक कुमार का नाम बताया है जो बहुअकबरपुर, जिला रोहतक का रहने वाला था उसका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया जाए । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतो के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की छोटी बहन श्रीमती परमेश्वरी जो उनसे पांच साल छोटी थी उनका आज असामयिक निधन अबूबशहर, राजस्थान में हो गया है और उनका अंतिम संस्कार आज शाम को चार बजे होना है । मैं आपके माध्यम से

सदन से अनुरोध करता हूं कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए।

**Smt. Kiran Choudhry (Tosham):** Speaker Sir, on behalf of the Congress Legislature Party, I put forward the following obituaries. We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Dr. A.R.Kidwai, former Governor of Haryana, on August 24, 2016. He took active part in 'Quit India Movement' in 1942. He remained Chairman and Member of the Union Public Service Commission from 1967 to 1979. He also served as the Governor of Bihar from 1979 to 1985 & 1993 to 1998, West Bengal from 1998 to 1999 and Haryana from 2004 to 2009. He also held additional charge of the Governor of Rajasthan during 2007. He remained member of the Rajya Sabha from 2000 to 2004. He was honoured with Padma Vibhushan Award in 2011 and as we all know Dr. A.R.Kidwai was a multi-faceted personality. He contributed to the nation in various capacities during his career. He was a great intellectual and had a very humble demeanor. In his death, the country has lost an eminent educationist and an able administrator. This House resolves to convey its heartfelt condolences to the members of the bereaved family and I would like to possess on

record that during his tenure as the Governor of Haryana, Haryana touched greater height.

We also place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Brij Mohan Singla, former Minister of Haryana, on May 26, 2016. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1982 and 1996 and remained a Minister during 1982-84 and 1997-99. He also held a number of important portfolios including Excise & Taxation, Health and Labour & Employment during these stints. In his death, the State has lost a seasoned legislator and an able administrator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Chaudhary Shakrulla Khan, former Minister of State and father of Shri Naseem Ahmed, MLA, on July 28, 2016. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1977, 1982 and 1991 and remained a Minister of State during 1985-86 and 1991-96. He also remained Chairman of the HARCOFED during 1979-80. In his death, the State has lost a seasoned

legislator and an able administrator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Ram Prasad, former Deputy Minister of Haryana, on June 9, 2016. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1967 and became a Deputy Minister. He was dedicated towards the upliftment of the downtrodden and poor sections of the society. In his death, the State has lost an able legislator and administrator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of his bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Dr. Malik Chand Gambhir, former Member of Haryana Legislative Assembly, on August 17, 2016. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1968 and 2002. He was a committed social worker. In his death, the State has lost a seasoned legislator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Brij Anand, former Member of Haryana Legislative Assembly, on June 7, 2016. He was born on

October 29, 1936. He was elected to the Haryana Legislative Assembly in 1991. He was a committed social worker. In his death, the State has lost an able legislator and administrator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Uday Singh Mann, former Member of Joint Punjab Legislative Council, on July 8, 2016. He remained a member of the Joint Punjab Legislative Council from 1952 to 1962. He also remained associated with many educational institutions. In his death, the State has lost an able legislator. We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of our revered freedom fighters who played a significant role in achieving the freedom of our country. A few of them are hardly left, most of them have gone. These great freedom fighters are:-

Shri Mawasi Ram, village Khoh, District Gurgaon.
Shri Surja Ram, village Chhilro, District Mehendragarh.
Smt. Sansaro Devi, village Dalipgarh, District Ambala.
Shri Balwant Ram, village Mangar, District Faridabad.

We salute these great freedom fighters who gave their lives for our country and resolves to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

We bid a tearful adieu to those brave soldiers who showed indomitable courage and made the supreme sacrifice of their lives while safeguarding the unity and integrity of our motherland and because of whom we are free in Indian today.

These great martyrs are:

Major Amit Deshwal, village Surehti, District Jhajjar.
Subedar Major Krishan Kumar, village Banawali, District Fatehabad.
Warrant Officer Ombir, village Baghpur, District Jhajjar.
Petty Officer Deepak Chandel, village Mandhar, District Yamunanagar.
Assistant Sub Inspector Ratan Kumar, village Gudha, District Jhajjar.
Havildar Mukesh Kumar, village Dancholi Jaat, District Mahendragarh.
Havildar Rajnesh, village Lawan, District Mahendragarh.
Havildar Satyanarayan, village Patikara, District Mahendragarh.
Havildar Surender Singh, village Pahadipur, District Jhajjar.
Havildar Vikramjeet Singh, village Jhalania, District Fatehabad.
Havildar Vijay Singh, village Chehad Kalan, District Bhiwani.
Corporal Sanjay Sharma, village Nangal Dargu, District Mahendragarh.
Naik Ran Singh, village Gudiani, District Rewari.
L/Naik Ram Chander, village Maroli, District Mahendragarh.
L/Naik Balwan Singh, village Ainchra Khurd, District Jind.
Sepoy Pawan Kumar, village Khor, District Mahendragarh.
Sepoy Satish, Village Nayagaon Bhala, District Rewari.
Sepoy Sunil Kumar, village Megha Majra, District Kurukshetra.
Sepoy Dinesh Kumar, village Jhanda, District Yamunanagar.
Sepoy Naval Kumar, village Bahu Jholri, District Jhajjar.
Sepoy Anup Kumar, village Pahsour, District Jhajjar.
Sepoy Hoshiyar Singh, village Behbalpur, District Fatehabad.
Sepoy Vikas, village Dehra, District Panipat.
Fireman Navjot Singh, village Budhwal, District Mahendragarh.

Fireman Amit Punia, village Nangal Kheri, District Panipat.
Fireman Arvind Kumar, village Dagroli, District Bhiwani.
Fireman Krishan Kumar, village Banchari, District Palwal.
Fireman Kuldeep Singh, village Mehra, District Bhiwani.
And also L/Naik Ashok Kumar, village Bahu Akbarpur, District Rohtak.

We salute these great soldiers for their supreme sacrifice of laying down their lives for the nation and resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

We place on record our deep sense of sorrow on the sad demise of:-

Smt. Savitri Devi, sister-in-law of Captain Abhimanyu, Finance Minister.

Shri Dharmender Hooda, son of Sri Krishan Hooda, MLA, I think this is very very sad death because he died at such a young age and we give our heartfelt condolences a heartfelt condolences to Shri Sri Krishan Hooda family.

Shri Vijay Singh, brother-in-law of Shri Subhash Barala, MLA;
Smt. Durga Devi, wife of Shri Chand Ram, former Union Minister;
Shri Radhey Ram Beniwal, father of Shri Kublir Beniwal, Ex-MLA;
Smt. Shyamwati, wife and Smt. Kamlesh, sister-in-law of Shri Subhash Chaudhary, Ex-MLA;
Shri Ritik, nephew of Shri Padam Singh Dahiya, Ex-MLA; and
Smt. Parmeshawari Devi, youger sister of Jan Nayak Ch. Devi Lal, former Deputy Prime Minister of India.

We resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई):** अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं भी उसका समर्थन करता हूं । डॉ. ए.आर. किदवाई, हरियाणा के

राज्यपाल रहे हैं । मुझे भी उनकी गाईडैंस में काम करने का अवसर मिला । वे केवल प्रदेश के कांस्टीच्यूशनल हैड नहीं थे बल्कि एक गाईड का काम भी करते थे। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए भी एक गाईड का काम किया । वे एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जिसके सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया । डॉ. रफीक अहमद किदवाई हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और वे मंत्री भी रहे । वे इसी परिवार से थे । डॉ. ए.आर. किदवई जैसे व्यक्ति के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला । वे हर क्षेत्र में गाईड का काम करते थे चाहे विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो । उन्होंने मैरी लैंड यूनिवर्सिटी से बात करके मानेसर के अंदर कम्यूनिटी कालेज खुलवाया जिसमें किसी भी ऐज के लोग अलग–अलग ट्रेड को एडोप्ट कर टैक्नीकल शिक्षा ले सकते हैं। वे 2009 में प्रदेश के राज्यपाल पद से हट गए थे । उसके बाद भी वे हर महीने मुझे बुलाते थे और अपनी गाईडैंस देते थे । इस प्रकार से वे विशेष रूचि हरियाणा के विकास में रखते थे । आज वे हमारे बीच नहीं रहे लेकिन अपनी गाईडैंस छोड़कर गये हैं उस पर हम चलेंगे । इसके अतिरिक्त जिन भूतपूर्व मंत्रियों, विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों तथा विधायकों के रिश्तेदारों का नाम सदन के नेता ने लिया है उनका मैं अनुमोदन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

**शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा):** अध्यक्ष महोदय, डॉ. ए. आर. किदवई, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय हमारे बीच नहीं रहे जिसके लिए हरियाणा सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक रखा है । मैं भी उनको श्रद्धांजलि देता हूं । चौधरी शकरूल्ला खां, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री जो कि हमारे विधायक साथी श्री नसीम अहमद के पिता थे । उनके साथ मैंने भी समय व्यतीत किया उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसी तरह से श्री बृज मोहन सिंगला 1996 से 1999

तक मेरे साथ मंत्री रहे । हम दोनो 8 अगस्त, 1998 को अमरनाथ यात्रा पर गये थे, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसी तरह से श्री राम प्रसाद जो उप मंत्री रहे । वे बावल से विधायक रहे और बुड़ोली गांव के रहने वाले थे जो कि हमारे एरिया में पड़ता है । उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसी तरह से डॉ. मलिक चंद गंभीर जो हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे । वे यमुनानगर से विधायक बने थे, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसी तरह से बृज आनंद जो हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे । वे अंबाला छावनी से विधायक बने थे, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसी तरह से उदय सिंह मान जो कि संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे । उनकी 105 साल में मृत्यु हुई है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसी तरह से हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं श्री मवासी राम, गांव खोह, जिला गुड़गांव, श्री सूरजा राम, गांव छिलरो, जिला महेन्द्रगढ़ जिनके घर पर मैं गया भी था । श्रीमती संसारो देवी, गांव दलीपगढ़, जिला अम्बाला और श्री बलवंत राम, गांव मांगर, जिला फरीदाबाद । इन महान स्वत़ंत्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूँ । स्पीकर सर, मैं अपनी ओर से उन सभी वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार से हैं :–

1. मेजर अमित देशवाल, गांव सुरहेती, जिला झज्जर।
2. सूबेदार मेजर कृष्ण कुमार, गांव बनावाली, जिला फतेहाबाद।
3. वारंट ऑफिसर ओमबीर, गांव बाघपुर, जिला झज्जर।
4. पेटी ऑफिसर दीपक चंदेल, गांव मंधार, जिला यमुनानगर।

5. सहायक उप निरीक्षक रतन कुमार, गांव गुढ़ा, जिला झज्जर।

6. हवलदार मुकेश कुमार, गांव दनचौली जाट, जिला महेन्द्रगढ़।

7. हवलदार रजनेश, गांव लावन, जिला महेन्द्रगढ़।

8. हवलदार सत्यनारायण, गांव पटीकरा, जिला महेन्द्रगढ़।

9. हवलदार सुरेन्द्र सिंह, गांव पहाड़ीपुर, जिला झज्जर।

10. हवलदार विक्रमजीत सिंह, गांव झलनियां, जिला फतेहाबाद।

11. हवलदार विजय सिंह, गांव चैहड़ कलां, जिला भिवानी।

12. कार्पोरल संजय शर्मा, गांव नांगल दर्गू, जिला महेन्द्रगढ़।

13. नायक रणसिंह, गांव गुडियानी, जिला रेवाड़ी।

14. लांस नायक रामचन्द्र, गांव मारोली, जिला महेन्द्रगढ़।

15. लांस नायर बलवान सिंह, गांव ऐंचरा खुर्द, जिला जीन्द।

16. सिपाही पवन कुमार, गांव खोड़, जिला महेन्द्रगढ़।

17. सिपाही सतीश, गांव नया गांव भाला, जिला रेवाड़ी।

18. सिपाही सुनील कुमार, गांव मेघामाजरा, जिला कुरूक्षेत्र।

19. सिपाही दिनेश कुमार, गांव झण्डा, जिला यमुनानगर।

20. सिपाही नवल कुमार, गांव बहु–झोलरी, जिला झज्जर।

21. सिपाही अनूप कुमार, गांव पाहसौर, जिला झज्जर।

22. सिपाही होशियार सिंह, गांव बहबलपुर, जिला फतेहाबाद।

23. सिपाही विकास, गांव देहरा, जिला पानीपत।

24. फायरमैन नवजोत सिंह, गांव बुढ़वाल, जिला महेन्द्रगढ़।

25. फायरमैन अमित पूनिया, गांव नांगल खेड़ी, जिला पानीपत।

26. फायरमैन अरविंद कुमार, गांव दगड़ौली, जिला भिवानी।

27. फायरमैन कृष्ण कुमार, गांव बंचारी, जिला पलवल।

28.फायरमैन कुलदीप सिंह, गांव मैहड़ा, जिला भिवानी।

29.लांस नायक श्री अशोक कुमार, गांव बहु–अकबरपुर, जिला रोहतक।

मैं अपनी तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की भाभी श्रीमती सावित्री देवी, विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा के सुपुत्र श्री धर्मेन्द्र हुड्डा, विधायक श्री सुभाष बराला के साले श्री विजय सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री चांदराम की पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी, पूर्व विधायक श्री कुलबीर बैनीवाल के पिता श्री राधेराम बैनीवाल, पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी की पत्नी श्रीमती श्यामवती एवं भाभी श्रीमती कमलेश, पूर्व विधायक श्री पदम सिंह दहिया के भतीजे श्री रितिक तथा चौधरी देवी लाल जी की बहन श्रीमती परमेश्वरी देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलो के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। डॉ. ए. आर. किदवई जी जो हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल रहे, के दिनांक 24 अगस्त, 2016 को हुए निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया। वे वर्ष 1967 से 1979 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1979 से 1985 एवं 1993 से 1998 तक बिहार तथा 1998 से 1999 तक पश्चिम बंगाल और 2004 से 2009 तक हरियाणा के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। उन्होने वर्ष 2007 के दौरान राजस्थान के

राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। वे वर्ष 2000 से 2004 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। उनको वर्ष 2011 में पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया था। उनके निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री बृज मोहन सिंगला जी जो हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, के दिनांक 26 मई, 2016 को हुए निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ वे वर्ष 1982 तथा 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1982 से 1984 तथा 1997 से 1999 के दौरान मंत्री भी रहे। उनके निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

चौधरी शकरूल्ला खां जी जो हरियाणा के भूतपूर्व राज्यमंत्री रहे, के दिनांक 28 जुलाई, 2016 को हुए दःुखद निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1977, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1985 से 1986 तथा 1991 से 1996 के दौरान राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा वे हरको फैड के चेयरमैन भी रहे। उनके निधन पर भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री राम प्रसाद जी जो हरियाणा के भूतपूर्व उप–मंत्री रहे, के दिनांक 9 जून, 2016 को हुए निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और उप–मंत्री भी बने। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए हमेशा समर्पित रहे। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

डॉ. मलिक चंद गम्भीर जी जो हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे, के दिनांक 17 अगस्त, 2016 को हुए निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1968 तथा 2002 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। मैं उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री बृज आनंद जी जो हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे, के दिनांक 7 जून, 2016 को हुए निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1991 से 1996 के दौरान हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी रहे। मैं उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री उदय सिंह मान जी जो संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य रहे, के दिनांक 8 जुलाई, 2016 को हुए निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे वर्ष 1952 से 1962 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वे कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। उनके निधन पर भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

इसके अलावा मैं उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूँ जिन्होने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में बहुमूल्य योगदान दिया था।

इसी प्रकार से मैं उन सभी वीर सैनिको को भी अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसी प्रकार से हमारे सभी विधायको, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भूतपूर्व विधायकों के निजी संबधियों जिनके नाम इस शोक प्रस्ताव में दिये गये हैं, के दुःखद निधन पर भी मैं अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूँ। श्री आनन्द सिंह दांगी जी और सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी ने जो नाम शोक प्रस्ताव में शामिल करने के लिए कहा है उनको भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया जाएगा। मैं उनके निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे ताकि उन सभी को शांति प्राप्त हो सके।

मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

**(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)**

## इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यगण का निलम्बन रद्द करने/सदन के निर्णय का रद्द करने के लिए अनुरोध करना

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस विधायक दल की ओर से इस सदन के समक्ष एक निवेदन रखना चाहूंगा जो कि राजनीति की तहजीब भी है और प्रजातंत्र की परिपाटी भी है । हमारे 3 साथियों को आपने शायद पहली बार 6 महीने के लिए इस सदन से सस्पैंड किया था ।

**श्री अध्यक्ष :** सुरजेवाला जी, मैंने सस्पैंड नहीं किया बल्कि उनको हाउस ने सस्पैंड किया था ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, हाउस के अध्यक्ष आप ही हैं और इसलिए मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूँ । उस समय कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ और उस गतिरोध के चलते आपने हमारे साथियों को सस्पैंड किया है । हमने अपना विरोध दर्ज करवा दिया था और पूरे सत्र के दौरान हमारे साथियों को हाउस में आने भी नहीं दिया गया । प्रजातंत्र में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही निर्णायक भूमिका विपक्ष की भी होती है । जब हम ट्रेजरी बैंचिज पर बैठते थे तब भी और आज जब जनता के आदेश से विपक्ष में बैठे हैं तब भी इस बात को पहचानते हैं । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की आवाज को दबाना ठीक नहीं है । आप किसी एक दल के अध्यक्ष नहीं हैं इसलिए सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए । यहां पर सदन के नेता भी बैठे हैं, मैं उनसे

भी अनुरोध करूंगा कि हमारे उन साथियों को वापिस बुलाया जाना चाहिए । मैं केवल 2 लाईनें प्रजातंत्र की परिपाटी के बारे में कहना चाहूंगा कि

**ज़माना हमको खामोश नहीं कर सकता,**
**हमारा नाम है तारीख के हवालों में।**

अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में यह आवश्यक है, यह जरूरी है और यह अनिवार्य भी है और इस हाउस के प्रोटैक्टर के तौर पर आपका यह कर्त्तव्य भी है और सदन के नेता भी यहां पर बैठे हुये हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हमारे उन तीन साथियों को भी वापिस बुलाना चाहिए जिनको बजट सैशन में 6 महीने के लिये हाउस की सहमति से सस्पैंड किया गया था । हम चाहते हैं कि यह गतिरोध खत्म हो ताकि हम भी जो अपने विधान सभा क्षेत्रों के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी बात निर्णायक तरीके से रख सकें, सरकार को सुझाव भी दे सकें और सरकार जहां–जहां पथभ्रष्ट है, जहां रास्ते से भटकी है उसको भी बता सकें कि अतिवादी रवैया प्रजातंत्र के प्रतिकूल है । इसीलिये प्रजातंत्र में सबकी आवाज सुनना अनिवार्य है । मेरा आपसे यही सादर अनुरोध है ।

**श्री ज्ञान चन्द गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, एक तो आदरणीय साथी ने यह आरोप लगाया है कि विपक्ष की आवाज को दबाया गया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की भी कुछ भूमिका रहती है और सदन के भी कुछ कायदे कानून हैं, उनकी मर्यादा को बनाए रखना भी हम सबका कर्तव्य है ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मेरा गुप्ता जी, से अनुरोध है कि क्या वे संसदीय कार्यमंत्री हैं जो बार–बार खड़े हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वह आपके माध्यम से ही कहा है और बाकी वरिष्ठ नेता भी यहां बैठे हैं ।

**श्री ज्ञान चन्द गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अतिवादी शब्द का प्रयोग किया है तो मैं समझता हूं कि यहां सदन में कोई सदस्य किसी के राईट्स पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है लेकिन हर सदस्य का जहां उसका हक है वहां उसका कर्तव्य भी बनता है । उस समय सदन ने जो निर्णय किया था वह सारे सदन ने सोच समझकर किया था और आज भी सदन जो निर्णय करेगा मैं समझता हूं कि वह सबको स्वीकार्य होगा ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी डिकटेट कर रहे हैं या कोई सुझाव दे रहे हैं ।

**श्री ज्ञान चन्द गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूं लेकिन मेरे साथी डिकटेट कर रहे हैं ।

**सरदार जसविन्द्र सिंह संधू :** अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि डैमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जहां प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सदन की हिदायतों को बनाकर रखे । अगर कहीं कोई चूक हो भी गई है तो उन तीनों विधायकों को पूरे सदन के लिये बाहर रखना काफी सजा है , मेरा आपसे अनुरोध है कि उन तीनों विधायकों को सदन में बुलाया जाए और उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए । वैसे तो उन्होंने पिछले सैशन में भी अपनी गलती मान ली थी अगर अब भी वह सदन में आकर कह दें कि आगे से सदन में जब गवर्नर साहब बोलेंगे तो ऐसी रूकावट नहीं डाली जाएगी तो मेरी आपसे अनुरोध है कि उन तीनों सदस्यों को सदन में वापिस बुला लिया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो बात कही है कि हमारे सभी सदस्यों को हाउस में नहीं आने दिया गया तो मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के सभी सदस्यों को हाउस के अन्दर

आने से किसी ने भी नहीं रोका था। इनकी पार्टी के सभी सदस्य तो अपनी मर्जी से ही हाउस में नहीं आए । कांग्रेस पार्टी के केवल तीन सदस्य ही हैं जिनके खिलाफ हाउस ने इस प्रकार का निर्णय लिया था । अगर उनसे इस प्रकार से कोई गलती हुई थी । अगर वे तीनों मैम्बर हाउस में आकर ऐसा महसूस करते कि हमसे यह गलती हुई है तो हाउस उनके खिलाफ ऐसा निर्णय न लेने के लिये भी तैयार था लेकिन उनमें से किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमसे गलती हुई है जिसकी वजह से पूरे हाउस की सहमति से यह निर्णय लेना पड़ा । ऐसा कार्य तो किसी सदस्य को भी नहीं करना चाहिए । चाहे वह सत्ता पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का सदस्य हो । हाउस के जो नियम व कायदे कानून हैं उनका पालन तो सभी सदस्यों को ही करना चाहिए । अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि यह गलत हुआ है तो हाउस उन तीनों मैम्बरों को दोबारा सदन में बुलाने पर विचार कर सकता है ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि प्रजातंत्र में गतिरोध, प्रजातंत्र में हठ–धर्मिता, प्रजातंत्र में बहुमत का अहंकार यह किसी के लिये ठीक नहीं है । न विपक्ष के लिये और न ही सत्ता पक्ष के लिये क्योंकि बहुमत तो कभी विपक्ष की तरफ आ जाता है और कभी सत्ता पक्ष की तरफ चला जाता है । बहुमत तो बदलता रहता है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी अगर यह चाहते हैं कि मैं न बोलूं तो मैं बैठ जाता हूं ।

**वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो विषय उठाया है हमें खुशी हुई कि बहुत बड़े लम्बे समय के बाद आज इस सदन में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है । मैं बताना चाहता हूं कि इस विधान सभा का दो साल का कार्यकाल अगले दो महीने के बाद पूरा हो जाएगा । इस दो साल के कार्यकाल

में हरियाणा विधान सभा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे सदन की अवधि हो और चाहे सदन में विपक्ष के साथियों को बोलने का अवसर हो, सदन के नेता से लेकर सभी सदस्यों तक आपने नई मिसाल, नये आदर्श और नये उदाहरण इस सदन में प्रस्तुत किये हैं । इस पूरे एक प्रकरण के अलावा जहां एक तरफ आपने और सदन के नेता और जिसमें आप सरकार पक्ष भी कह सकते हैं ने सबको उदार तरीके से बोलने का अवसर दिया है वहीं हम सबका इस हाउस के नाते सब सदस्यों का यह दायित्व बनता है कि जब हम इस सदन की मर्यादा को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं तो हम इस सदन की मर्यादा की रक्षा करने का काम भी करें। विपक्ष के जिन साथियों ने सदन की मर्यादा के प्रतिकूल कार्य किया था उस कृत्य को अत्यंत गम्भीर मानते हुए इस महान सदन को बहुत ही कड़ा निर्णय लेना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, आपने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन साथियों को बार–बार यह अवसर दिया था कि केवल मात्र वे इस सदन को यह अहसास करायें कि जो कुछ सदन में हुआ और जो कुछ कांग्रेस के उन सदस्यों ने किया वह उचित नहीं हुआ था, उनसे भूल हो गई थी । इतना अहसास अगर वे सदस्य सदन को कराने की हिम्मत रखते हैं तो यह सदन भी बड़े उदार मन से उस बात को आगे बढ़ायेगा। यदि वें इस बात को उस समय मान लेते तो संभव था कि कोई मामला ही पैदा नहीं होना था। अब यदि माननीय सुरजेवाला जी उन सदस्यों को उनके कृत्य के लिए गलती या भूल का अहसास कराने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह महान सदन बड़े ही उदार मन से इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपना निर्णय देगा। सदन में माननीय सुरजेवाला जी ने पूरे आक्षेप के साथ अतिवादी शब्द के साथ अनेक प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने उन साथियों का बचाव किया जिन्होंने सदन की मर्यादा को धूमिल करने का प्रयास किया था। यदि आप अपने साथियों का बचाव न करते हुए उनको सदन की मान,

मर्यादा व गरिमा बनाये रखने का सुझाव देते तो ज्यादा श्रेयष्कर होता क्योंकि इस सदन की मान, मर्यादा व गरिमा किसी व्यक्ति के अहम से ज्यादा बड़ी होती है। इतना कहते हुए मैं अपनी सीट धारण करता हूँ और जैसा सदन का निर्णय होगा वह सबको मान्य होगा।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः** अध्यक्ष महोदय, जब मैं अपनी बात रख रहा था और आपने आदरणीय मंत्री जी को मौका दिया था तो I yielded but he did not feel. So let me very briefly complete. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको, सदन के नेता तथा पूरे सदन से यह आग्रह कर रहा था कि प्रजातंत्र में हठधर्मिता, सत्ता का अहंकार या नम्बर्ज का अहंकार प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। मेरे आदरणीय मित्र कैप्टन अभिमन्यु जी पहली बार चुनकर इस सदन में आये हैं। हम भी कभी सत्ता पक्ष की सीटों पर बैठते थे और जो साथी आज सत्ता पक्ष की सीटों पर बैठे हुए हैं उनमें से कईं साथी विपक्ष की सीटों पर बैठा करते थे। प्रजातंत्र में अदला–बदली के खेल जनता के हाथ में हैं। वह किसी भी पार्टी को सत्ता या विपक्ष में रखने का मादा रखती है। हम जब सत्ता में थे तो हमने विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य के विरूद्ध अहंकारपूर्ण निर्णय नहीं लिया था। उस समय के सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सदन में बैठे हुए है उन्होंने विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य के विरूद्ध प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया था तथा अध्यक्ष महोदय, आप से पहले जो अध्यक्ष पद पर विराजमान हुआ करते थे उनका भी सदा उदारपूर्ण रवैया रहा करता था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे तथा सदन के नेता से यह विनम्र आग्रह है कि किसी प्रकार की हठधर्मिता न पालिए वरना प्रजातंत्र में हठधर्मिता की बहुत बड़ी सजा अवश्य मिलती है। मैं आपसे और सदन के नेता से अनुरोध करता हूँ कि हमारे साथियों ने कुछ गलत नहीं किया और

न ही किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किया। हमारे साथियों ने बाकायदा नियमों व कानून की अनुपालना की है। अगर आवेश में कुछ हुआ और आप इतनी बड़ी सजा दे कि उन सदस्यों को छह–छह महीने की अवधि के लिए सदन से निष्कासित कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता सदन के आचरण को और इस सरकार के आचरण को भलीभांति देख रही है और वक्त आने पर इस तरह के आचरण की सजा जरूर मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे तथा सदन के नेता से बड़ी विनम्रता के साथ पुनः आग्रह है कि हमारे कांग्रेस के साथियों को वापिस बुलाया जाए ताकी एक बेहतर वातावरण में सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों प्रकार के सुझाव हम सरकार के समक्ष रख सकें। (विघ्न)

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):** अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कांग्रेस के साथियों को हठधर्मिता, संख्याबल, अहंकार तथा विपक्ष की आवाज को दबाने जैसे शब्दों का मतलब समझ में आ गया है। (हंसी एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी:** अध्यक्ष महोदय, विज साहब काग्रेस पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष कर रहे हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि उस समय वे बिना परमिशन के बोलने के लिए उठ जाते थे और बार–बार अनुरोध के बावजूद भी नहीं बैठते थे। (विघ्न)

**श्री अनिल विज:** दांगी जी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। अध्यक्ष महोदय, कितनी विचित्र बात है कि आपके द्वारा किए गए एक छोटे से प्रयोग की वजह से कांग्रेस के लोगों को हठधर्मिता, संख्याबल, अहंकार तथा विपक्ष की आवाज को दबाने जैसे शब्दों व बातों का अर्थ समझ में आ गया है। जब यह लोग सत्ता में हुआ करते थे उस वक्त इनको यह शब्द/बातें समझ में नहीं आती थी। जब हम विपक्ष की सीटों पर बैठते थे तो हमें बोलने के लिए खड़ा

भी नही होने दिया जाता था और कई बार तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती थी कि हमें अपनी सीट पर बैठे–बैठे ही सदन से निष्कासित कर दिया जाता था। उस वक्त इनको इन शब्दों के अर्थ मालूम नहीं हुआ करते थे। परन्तु अब जबकि आपने एक छोटा सा प्रयोग कर दिया है तो इनको सभी शब्दों व बातों के अर्थ समझ में आने लग गए हैं। अब जबकि कांग्रेस के लोग शब्दों व बातों का अर्थ अच्छी तरह से समझने लग गए हैं तो मैं भी सदन से आग्रह करूंगा कि सदन से निष्कासित किए गए माननीय सदस्यों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जाये।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र साथी श्री सुरजेवाला जी ने आज सदन में प्रजातंत्र के विषय में अपनी बात रखी है। विश्वभर में यह सिद्ध हो चुका है कि प्रजातंत्र बहुत ही विशालतम हृद्य का एक साथ रहने, व्यवहार करने तथा संगठन का काम चलाने का एक उत्तम व श्रेष्ठ तरीका है। प्रजातंत्र से बढ़िया तरीका दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता लेकिन यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जहां पर प्रजातंत्र कायम होता है वहां पर यह बात भी तय सिद्ध होती है कि प्रजातंत्र का मतलब फ्री फॉर आल भी नहीं होता है। सदन की मर्यादा रखना सभी माननीय सदस्यों का फर्ज होता है। डैमोक्रेसी में भी कुछ कायदे कानून होते हैं, यदि उन कायदे और कानून का पालन नहीं किया जाता तो अवश्य ही भयंकर परिणाम भी निकलते हैं । डैमोक्रेसी में यह कहना कि डैमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की आजादी है, कम से कम इस विषय पर हमको जरूर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विषय केवल इतना ही था कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान ही इस सदन ने एक परम्परा बनाई है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को निर्विघ्न चलने देना चाहिए। यदि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में माननीय सदस्यों को लगता है कि सही बातें नहीं कही गई हैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद माननीय सदस्यों को

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का सदन में पर्याप्त समय मिलता है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब सदन में एक नई परम्परा बनाना की राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रारम्भ होते ही विधायकगण बिना बात के आवेश में आकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ दें तो मैं समझता हूँ कि यह परम्परा सरासर गलत है। यह इस सदन का ही अपमान नहीं अपितु राज्यपाल महोदय का भी अपमान है। राज्यपाल का संवैधानिक पद होता है इसलिए राज्यपाल किसी पार्टी के गुट में शामिल नहीं होता है, न ही वह सत्ता पक्ष का होता है और न ही विपक्ष का होता है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का संवैधानिक पद होते हुए भी उनके सामने अभिभाषण की प्रतियां फाड़ी गईं । इस प्रकार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने पर निश्चित रूप से सदन को उसका संज्ञान लिया ही जाना चाहिए था। आज भी सदन में यह कहा गया है कि निलंबित सदस्य भले ही अपने किए की सदन में माफी न मांगें, लेकिन यह तो कहें कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ना गलत था। ताकि हम भविष्य में कुछ नई परम्पराओं का निर्माण कर सकें। अध्यक्ष महोदय, यदि आज यह बात कहे बिना इन तीनों निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द किया जाता है तो फिर सबके लिए एक आचरण बनेगा। अध्यक्ष महोदय, उस आचरण में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने की सभी माननीय सदस्यों को भविष्य में छुट मिलेगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां न फाड़ी जायें, सदन में एक नई परम्परा बनाने की बात है, उसी पर एक छोटी सी बात निलंबित सदस्यों को कहनी है कि प्रतियां फाड़ने का व्यवहार गलत था। अध्यक्ष महोदय, निलंबित सदस्यों को माफी मांगने की

आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सदन को तीनों निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता बात को और आगे ले जाते हुए उनसे केवल यही कहूँगा कि गतिरोध पैदा हुआ यह बात सच है। गतिरोध पैदा होने के लिए सत्ता पक्ष भी जिम्मेवार था। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अभिव्यक्ति की आजादी सदन में छिनी गई, जिसके आप संरक्षक हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कीजिए मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि स्पीकर का पद बहुत बड़ा पद होता है। स्पीकर होने के साथ–साथ आप बहुत सज्जन पुरूष हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की अभिव्यक्ति की आजादी सदन में सरेआम छिनी गई है । मैं बड़ी विनम्रता से कहूं तो आप भी उसका संरक्षण नहीं कर पाएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ज्ञान चंद गुप्ताः** अध्यक्ष महोदय, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को मामले की जानकारी नहीं है क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान वह सदन में उपस्थित नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** सुरजेवाला जी, सदन आपसे केवल एक बात जानना चाहता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ना सही था या गलत था?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः** अध्यक्ष महोदय, मैं यही आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं सदन के नेता की इस बात को सदभाव से आगे बढ़ा रहा था तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को ऐतराज हो गया। अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में प्रत्येक सदस्य को चाहे वह सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में हों सभी को अभिव्यक्ति की आजादी बराबर है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष होने के नाते आपसे सभी सदस्यगण

अपने संरक्षण की उम्मीद करते हैं। मैं बहुत विनम्रता से और बहुत सोचकर अन्तर्सात करके यह कहूँगा कि सदन में हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने गतिरोध में आकर यदि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ दी हैं तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा न सदन के नेता दे सकते हैं न आप दे सकते और न ही यह सदन दे सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ज्ञान चंद गुप्ताः** अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ना न सिर्फ सदन का अपमान है बल्कि राज्यपाल महोदय का भी अपमान है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं सुरजेवाला जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी सदन में होती है। लेकिन आजादी भी गार्डिड होती है, बाऊन्डिड होती है, एब्सोल्यूट फ्रीडम सदन में भी नहीं होती है, अगर यह होती तो सदन की नियमावली की जो पुस्तक बनी है इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सदन की नियमावली पुस्तक के अनुसार ही सदन चलता है। यदि कोई बात सदन की नियमावली पुस्तक में नहीं लिखी हुई है तो सदन को परम्पराओं से चलाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, यदि सुरजेवाला जी को कानून की भाषा में सदन को जवाब देना है तो वह भाषा यह है कि अगर कोई चीज नियमावली में नहीं लिखी है तो उसे परम्परा से चलाया जाएगा । नियमावली में अगर इस विषय पर नहीं लिखा हुआ है कि सदन में राज्यपाल अभिभाषण की प्रति को फाड़ना ठीक है या गलत है तो हमको यह तय करना होगा कि राज्यपाल अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने की इस परम्परा को आगे चलाने के लिए छूट मिलनी चाहिए या नहीं । हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय इस तरह के कार्यों

पर चर्चा करके सहमति बनानी चाहिए कि हमें इसका विरोध करना है या समर्थन करना है । अध्यक्ष जी, राज्यपाल का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है । यह सदन का बजट सत्र का सबसे पहला विषय होता है । राज्यपाल महोदय वर्ष के हर सत्र में नहीं आते वे सिर्फ बजट सत्र में ही सदन में आते हैं और सदन में पूरे वर्ष का लेखा–जोखा रखा जाता है, भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं इत्यादि । मैं चाहता हूं कि सदन को इस सारे प्रोसैस को ध्यान में रखकर जो रूप देना है उसे भी पास करना चाहिए । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति फाड़ना यह परम्परा ठीक है या गलत है इस पर भी सदन को निर्णय करना चाहिए ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो विषय चल रहा है मैं उस विषय में हिस्सा नहीं लेना चाहता था लेकिन सदन में चर्चा जिस रूट पर जा रही है उसने मुझे इसमें भाग लेने के लिए मजबूर कर दिया है । सदन में अध्यक्ष और सदन के नेता के पद की एक गरिमा होती है । अध्यक्ष जी, आपके चैम्बर में जो चर्चा हुई थी उसके आप चश्मदीद ग्वाह हैं लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता । आपके चैम्बर में जो फैसला लिया गया था उस फैसले को नहीं माना गया । उस समय मैंने अपने मन में फैसला किया था कि जिस सदन में माननीय अध्यक्ष और माननीय सदन के नेता की गरिमा को नहीं रखा जाता मैं उस सदन में कभी इस तरह की चर्चा नहीं करूंगा । मैं चार बार पार्लियामैंट का सदस्य रह चुका हूं, तीन बार विधान सभा का सदस्य रह चुका हूं और अब विधान सभा में मैं चौथी बार चुनकर आया हूं । इस दौरान मैंने देखा है कि सदन में इस तरह के गतिरोध कई बार आ जाते हैं लेकिन मैंने पहली दफा देखा है कि स्पीकर महोदय के चैम्बर में बैठकर जो फैसला हुआ उस फैसले को इस हाउस में नहीं माना गया । क्या वजह थी कि उस फैसले को नहीं माना गया । स्पीकर महोदय, आपके चैम्बर में जो चर्चा हुई थी उसको मैं सदन में नहीं बताना चाहता लेकिन आप और सदन के

नेता स्वयं इस बात का निर्णय करे कि उस चर्चा में क्या फैसला हुआ था और उसके अनुसार हमने आपके मान–सम्मान को बरकरार रखा है या नहीं । आपके चैम्बर में हुए उस फैसले को अमलीजामा पहनाया है या नहीं मैं यह बात आप पर ही छोड़ता हूं । अध्यक्ष जी, स्पीकर और सदन के नेता के पद दोनों ही एक संवैधानिक संस्था हैं । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** हुड्डा साहब, हमारे साथ आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों की जो बात हुई थी उस पर वे खरे नहीं उतरे । आपकी पार्टी के माननीय सदस्य हाजिरी रजिस्टर में बिना हाजिरी लगाए ही हाउस में आ गये थे । (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन आप सदन की कार्यवाही निकालकर देखिये मैं चैम्बर में बैठकर सुन रहा था, आपने स्वयं अध्यक्ष की सीट पर बैठकर यह कहा था कि हाउस में कादियान साहब मेरे आग्रह पर आए हैं । जब आपने हाउस में यह बात कह दी थी तो फिर चर्चा का क्या विषय रह गया था । (विघ्न) मेरा आपसे अब भी यही अनुरोध है कि गतिरोध को खत्म किया जाए । इस बात की ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है । इस बात पर किसी की असहमति नहीं हो सकती कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कॉपी सदन में नहीं फटनी चाहिए थी लेकिन अगर आप इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी भी चर्चा करनी होगी कि किस वजह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति को फाड़ा गया । अतः मेरा आग्रह है कि इस चर्चा को ज्यादा आगे मत बढ़ाइये और इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस गतिरोध को खत्म कीजिए । (विघ्न)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन इतना ही है कि उस दिन जो सहमति बनी थी कि हमें अपने निर्णय पर कायम रहना है और हम आज भी उसी पर कायम

हैं । इसमें कोई अंतर नहीं है । बात इतनी ही थी कि जो सदस्य सदन में आए वे बिना हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाए ही आए थे । आपकी पार्टी के सभी सदस्य उन तीन सदस्यों के साथ सदन का बायकाट करके जा चुके थे और उनको हाजिरी लगाने में भी आपत्ति थी । कोई सदस्य सदन में आया है परंतु वह हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं लगा रहा है तो यही पर विषय मोल्ड कर गया । अन्यथा आज भी सदस्य हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाकर आए हैं । आज यह कह दें कि उस दिन जो हुआ वह गलत था और वह नहीं होना चाहिए था तो विषय खत्म हो जायेगा । (विघ्न)

**श्री जय प्रकाश :** अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अब इस गतिरोध को खत्म कर देना चाहिए ।

**श्री मनोहर लाल** : आप यह कह दें कि यह परम्परा गलत है, ठीक नहीं है बस इतना ही आपने सदन के सामने कहना है ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी चैम्बर में क्या फैसला हुआ था । मैं यह नहीं समझता हूं कि यह एक अच्छी प्रथा है । यह प्रथा अच्छी नहीं हैं । हमारी पार्टी ने आपके फैसले को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया था । आप इस चर्चा को यही छोड़ दें तो अच्छा है और सदन में जो गतिरोध हो रहा है उसको खत्म कीजिए । यह मेरा आपसे आग्रह है ।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, जो विषय यहां चल रहा है वह तो इनको खत्म करना चाहिए । माननीय कांग्रेस के सदस्य यह बात मान लें कि उस समय जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां सदन में फाड़ी गई थी वह ठीक नहीं हुआ था ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, चाहे माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो या माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का अभिभाषण हो उनके अभिभाषण की प्रति फाड़ने के पक्ष में कोई सदस्य नहीं है इसके लिए सभी सदस्यों की सहमति नहीं हो सकती । लेकिन आज मैं इस चर्चा में जाना नहीं चाहता कि वे माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति फाड़ने पर क्यों मजबूर हुए इसकी बहुत लम्बी कहानी है ।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी सदस्य की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति फाड़ने में सहमति नहीं हो सकती तो जिन तीन निलम्बित माननीय सदस्यों का सदन से निलम्बन किया गया था उनको सदन में बुला लिया जाये ।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, आपकी बात को सदन के नेता ने मन्जूर कर लिया है और उन तीन निलम्बित माननीय सदस्यों को बुला लिया जायेगा ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, उन माननीय सदस्यों को आज ही बुला लिया जाए ।

**श्री अध्यक्षः** अगर हाउस की सहमति है तो उन माननीय सदस्यों को अभी बुला लेते हैं ।

**आवाजेंः** ठीक है जी ।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, उन तीन निलम्बित माननीय सदस्यों को आज ही सदन में बुला लिया जाए ।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूं ।

## सदन में कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी मामला उठाना

**श्री करण सिंह दलाल**: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में जो भी फैसला लिया गया है उसकी रिपोर्ट को आज ही सदन में पेश करवा दीजिए ।

**श्री अध्यक्ष:** बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट को 29.08.2016 को पेश किया जायेगा और उसकी एक एक प्रति सभी सदस्यों को प्रोवाईड करा दी जायेगी ।

## .बैठक का स्थगन

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको पता है कि डा. ए.आर. किदवई जी भूतपूर्व राज्यपाल हरियाणा हमारे बीच नहीं रहे । उनके सम्मान में श्रद्वांजलि देने के लिए आज कार्य सलाहाकार समिति की मीटिंग में यह तय किया गया था कि शोक प्रस्ताव के बाद हाउस एडजर्न होगा और आज के सभी कार्य आगामी बैठक यानी दिनांक 29.08.2016 को टेक अप किए जायेंगें ।

माननीय सदस्यगण, अब यह सदन दिनांक 29 अगस्त, 2016 दोपहर बाद 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

*3.08 बजे

**(तत्पश्चात सदन की बैठक सोमवार 29 अगस्त, 2016, दोपहर बाद 2.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)**